राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

पत्रांक : / रा.नि.आ. /20

दिनांक 20

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–874/रा0नि0आ0–3/1379/2013 देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 2903/VI(3)/2018–11(3 निर्वा0)/2017 दिनांक 15.10.2018 के क्रम में एतद्द्वारा राज्य की **नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी–काठगोदाम, कोटद्वार, रूद्रपुर एवं काशीपुर (नगर निगम रूड़की को छोड़कर) के सभासदों एवं नगर प्रमुखों** का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
20 अक्टूबर, 2018 एवं 22, 23 अक्टूबर, 2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	**25 अक्टूबर, 2018 एवं 26 अक्टूबर, 2018** (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	**27 अक्टूबर, 2018** (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	**29 अक्टूबर, 2018** (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	**18 नवम्बर, 2018** (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	**20 नवम्बर, 2018** (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था0नि0) देहरादून, पौडी, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल संबंधित नगर निगमों के पदों/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 16 अक्टूबर, 2018** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय के नगर निगम की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगर निगमों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय के नगर निगम की

क्रमशः...........2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगर निगमों की मतगणना संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये संबंधित नगर निगमों के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने नगर निगम क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः–874/रा0नि0आ0–3/1379/2013 तद्दिनांक।(ई0मेल0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नागर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक **18 नवम्बर, 2018** को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
7. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त, कुमांयॅू मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी(स्था0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को **दिनांक 15 अक्टूबर, 2018** के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
15/10/18
(रोशन लाल)
सचिव।